

01	वसोयतनामा	कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं है।
02	इकारनामा	जब कब्जा न दिया गया हो तो क्रमांक 01 के अनुसार आधा स्टाम्प शुल्क।
03	बंटवारा/विभाजन	जब कब्जा दिया गया हो पूर्ण स्टाम्प शुल्क क्रमांक 01 के अनुसार
04	बड़ा हिस्सा छोड़कर शेष हिस्सों में	बड़ा हिस्सा छोड़कर शेष हिस्सों में क्रमांक 01 के अनुसार आधा स्टाम्प शुल्क
05	सौज पट्टा	क्रमांक 02 के अनुसार स्टाम्प शुल्क
06	सुरिक्वारीक समझौता	क्रमांक 01 के अनुसार मूल्यांकन पर आधा शुल्क
07	सूखार आम	एक कार्य के लिए 10 रु०
08	समानता	सभी कार्य के लिए 50 रु०
09	सखेदारी	50 रु०
10	दस्तावेज प्रहण पत्र	600 रु०
11	बन्धक पत्र	100 रु०
12	जब कब्जा दिया गया हो तो उस विलेख द्वारा सुरक्षित	जब कब्जा दिया गया हो तो उस विलेख द्वारा सुरक्षित
13	राशि/ऋण की राशि के अनुसार क्रमांक 01 के अनुसार	राशि/ऋण की राशि के अनुसार क्रमांक 01 के अनुसार
14	शुल्क। जब कब्जा न किया गया हो तो क्रमांक 01 के	शुल्क। जब कब्जा न किया गया हो तो क्रमांक 01 के
15	अनुसार स्टाम्प शुल्क	अनुसार स्टाम्प शुल्क
16	186.50 रु०	186.50 रु०
17	सबसे बड़े भाग पर क्रमांक 02 के अनुसार स्टाम्प शुल्क	सबसे बड़े भाग पर क्रमांक 02 के अनुसार स्टाम्प शुल्क
18	अधिकतम 100 रु०	अधिकतम 100 रु०
19	10 रु०	10 रु०
20	(न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये अन्य किसी दशा में) 2 रु०	(न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये अन्य किसी दशा में) 2 रु०
21	(जिससे सम्पत्ति का विभाजन न किया गया हो) 1000 रु० तक 6.25 रु० प्रति सैकड़ा	(जिससे सम्पत्ति का विभाजन न किया गया हो) 1000 रु० तक 6.25 रु० प्रति सैकड़ा
22	1000 रु० से अधिक होने पर प्रति, 1000 रु० पर 10 रु०	1000 रु० से अधिक होने पर प्रति, 1000 रु० पर 10 रु०
23	प्रत्येक 100 रु० या उसके भाग के लिए 50 रु०	प्रत्येक 100 रु० या उसके भाग के लिए 50 रु०
24	प्रत्येक 1000 रु० के लिए 70 रु०, 1000 रु० से अधिक	प्रत्येक 1000 रु० के लिए 70 रु०, 1000 रु० से अधिक
25	प्रत्येक 100 रु० या उसके भाग के लिए 70 रु०	प्रत्येक 100 रु० या उसके भाग के लिए 70 रु०



मुल्ला, पंडित, पादरी, ज्ञानी; अक्षर शक्ति सभी ने मानी।  
आओ कुछ कर दिखायें; खुद पढ़ें औरों को पढ़ाएँ।  
जनपद को संपूर्ण साक्षर बनाने में योगदान दें।